# नाबार्ड का क्रमिक विकास, 1982–2021 (अ)

## 1982–1991: ग्रामीण ऋण को पुन: क्रियाशील करना

**नाबार्ड की स्थापना**

- ₹4,519 करोड़ का तुलन-पत्र.
- ग्रामीण भारत पर पूरा ध्यान केन्द्रित करना
- वीवीवी के माध्यम से 'ऋण द्वारा विकास'- वीवीवी बाद में 'किसान क्लब' में परिवर्तित
- ऋण देने के लिए मानदंड निर्धारित करना (वित्तमान और इकाई लागत)

**विव 1983**

- विकास वालंटियर वाहिनी (वीवीवी)
- अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) निधि का निर्माण

**विव 1989**

- डीडीएम
- पीएलपी

- जिला विकास प्रबन्धक कार्यालय खोले गए.
- जिला-वार वार्षिक संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाएँ आरंभ की गईं.

**विव 1991**

- एक दशक में तुलन-पत्र में तिगुनी वृद्धि

- 31 मार्च 1991 की स्थिति में तुलन-पत्र ₹12,751 करोड़ का हो गया.

## 1992–2001: महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण

**विव 1993**

- एसएचजी-बीएलपी
- महाराष्ट्र में इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम

- 500 एसएचजी को लेकर पायलट आधार पर एसएचजी-बीएलपी का आरंभ
- 1992 से वाटरशेड विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

**विव 1996**

- आरआईडीएफ़

- भारत सरकार ने ₹ 2000 करोड़ की आरंभिक समूह निधि से नाबार्ड में आरआईडीएफ़ की स्थापना की.

**विव 1997**

- नैबफिन्स
- नैबकिसान
- नैबसमृद्धि

- नैबफिन्स: ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए सूक्ष्मवित्त की सुविधा प्रदान करती है.
- नैबकिसान : यह संस्था एमएफ़आई, एनबीएफ़सी और एफ़पीओ, जो आजीविका/ आय अर्जन के लिए कृषि और ग्रामीण उद्यमियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं, को ऋण प्रदान करती है.
- नैबसमृद्धि: माइक्रोफाइनेंस, एमएसएमई, आवास, शिक्षा, परिवहन, आदि सहित गैर-कृषि गतिविधियों में उद्यमों के प्रचार और विस्तार के लिए व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है.

**विव 1999**

- केसीसी

- किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं ताकि वे बीज, खाद, कीटनाशक आदि की खरीद के साथ- साथ अपनी उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से नकद आहरण कर सकें.

**विव 2000**

- डब्ल्यूडीएफ़

- ₹200 करोड़ की समूह निधि से नाबार्ड में डब्ल्यूडीएफ़ की स्थापना की गई.

**विव 2001**

- एक दशक में तुलन-पत्र में तिगुनी वृद्धि
- सूक्ष्म वित्त की स्थिति का पहली बार प्रकाशन

- 31 मार्च 2001 की स्थिति में तुलन-पत्र का आकार ₹ 38,816 करोड़ हो गया.

**विव 2020**

- एमआईएफ़
- नैबफाउंडेशन

- एमआईएफ़: सिंचाई कवरेज में वृद्धि करते हुए जल-उपयोग दक्षता और जल संरक्षण सुनिश्चित करता है.
- नैबफाउंडेशन : नाबार्ड की विकासात्मक पहलों का कार्यान्वयन करना और सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अन्य संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग करना.

**विव 2021**

- आरआईएएस
- नैबसंरक्षण
- नए पुनर्वित्त उत्पाद
- एक दशक में तुलनपत्र में चौगुनी वृद्धि

- आरआईएएस: प्रारम्भ में पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आधारभूत संरचना और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाना.
- नैबसंरक्षण - विभिन्न सरकारी ऋण गारंटी निधियों के माध्यम से नैबसंरक्षण का लक्ष्य संधारणीय और सम्यक् ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह का संवर्धन करता है.
- महामारी के बाद निम्नलिखित के लिए विशेष दीर्घावधि पुनर्वित्त सुविधा दी गई :
  - पैक्स का एमएससी में परिवर्तन
  - वाटरशेड और वाडी परियोजनाओं के लाभार्थियों को सहायता
  - सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों का संवर्धन
  - वॉश संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण
- 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र का आकार ₹ 6,57,798 करोड़ हो गया.

## *2002–2011:* ऋण से वंचित लोगों तक ऋण सहायता पहुंचाना

**वित्त 2003**
- नैबकॉन्स
- टीडीएफ़

- नैबकॉन्स की स्थापना- कृषि, ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी.
- टीडीएफ़ से जनजातीय परिवार लाभान्वित होते हैं.

**वित्त 2005**
- किसान क्लब (एफ़सी)—पूर्ववर्ती वीवीवी

- किसान समुदाय विशेषकर छोटे और सीमांत ग्रामीण किसानों का क्षमता निर्माण और सशक्तीकरण

**वित्त 2007**
- एमईडीपी
- जेएलजी
- ब्याज सहायता योजना

- एमईडीपी: परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए एमईडीपी की शुरुआत की गई.
- संयुक्त देयता समूह: का उद्देश्य काश्तकार और भूमिहीन किसानों को समपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करके और बैंकों तथा जेएलजी के सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास का निर्माण करके ऋण प्रवाह बढ़ाना है.
- भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत बैंकों को 2% की ब्याज सहायता और किसानों को ऋण की शीघ्र चुकौती के लिए 3% की सहायता के उपरांत किसानों को 4% की दर पर फसल ऋण दिया जाता है.

**वित्त 2008**
- वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफ़आईटीएफ़) का विलय करके वित्तीय समावेशन निधि की स्थापना.
- यूपीएनआरएम

- वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए एफ़आईएफ़ और एफ़आईटीएफ़ द्वारा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और हितधारकों के क्षमता निर्माण हेतु सहायता दी जाती है.
- समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना.

**वित्त 2011**
- नीडा
- पीओडीएफ
- एक दशक में तुलन-पत्र में चौगुनी वृद्धि

- राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के लिए प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करने के लिए नीडा की स्थापना की गई.
- पीओडीएफ़ : एफपीओ को ऋण सह अनुदान देगा
- 31 मार्च 2011 की स्थिति में तुलन-पत्र का आकार ₹1,58,872 करोड़ हो गया.

**वित्त 2012**
- एनआईई

- अनुकूलन निधि बोर्ड के लिए एशिया में पहली एनआईई है.

**वित्त 2018**
- एनएएफ़आईएस
- एफ़पीओ के लिए ऋण गारंटी
- डीआईडीएफ़

- अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई.
- ऋण गारंटी योजना के कारण बैंकों को एफ़पीओ को ऋण देने में आसानी होती है.
- डीआईडीएफ़: डेयरी किसानों को होने वाले लाभ को बनाए रखने के लिए डेयरी सहकारी समितियों को सक्षम बनाना ताकि वे प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें.

## *2012–2021:* आकांक्षी भारत का निर्माण

**वित्त 2014**
- डब्ल्यूआईएफ़

- डब्ल्यूआईएफ़: विकेंद्रीकृत आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के विस्तार और किसानों को कटाई उपरांत ऋण प्रदान करने हेतु

**वित्त 2015**
- ई-शक्ति

- ई-शक्ति लेखा-बहियों के मानकीकरण और डिजिटल इको-सिस्टम के परिचालनों में पारदर्शिता और नियमितता लाकर एसएचजी-बीएलपी को एंड-टू-एंड सुविधा प्रदान करता है.

**वित्त 2017**
- एलटीआरसीएफ़
- ओएफ़पीओ
- सीसीएफ़

- एलटीआरसीएफ़ कृषि कार्यों के लिए किसानों को रियायती मीयादी ऋण प्रदान करने हेतु सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है.
- ओएफ़पीओ: हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों जैसे कृषीतर उत्पादकों के समूहों को सहायता प्रदान करना
- सीसीफ: जलवायु परिवर्तन मुद्दों के समाधान से संबंधित गतिविधियों के लिए निधि.

**वित्त 2019**
- एफ़आईडीएफ़
- पीएमएवाई-जी
- नैबवेंचर्स

- एफ़आईडीएफ़ का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020 तक मछली उत्पादन को 11.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 15 मिलियन टन और वित्तीय वर्ष 2023 तक 20 मिलियन टन करना है.
- पीएमएवाई-जी: एनआरआईडीए के माध्यम से नाबार्ड द्वारा समर्थित
- नैबवेंचर्स
  - यह अर्ली-टू-मिड-स्टेज वेंचर ग्रोथ इक्विटी फंड है.
  - भारत में कृषि-तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी फंडों में से एक के रूप में उभर रहा है.

| | |
|---|---|
| एएफ़बी | अनुकूलन निधि बोर्ड |
| सीसीएफ़ | जलवायु परिवर्तन निधि |
| सीएसआर | कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व |
| डीडीएम | जिला विकास प्रबन्धक |
| एफ़सी | किसान क्लब |
| एफ़आईडीएफ़ | मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि |
| एफ़आईएफ़ | वित्तीय समावेशन निधि |
| एफ़आईटीएफ़ | वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि |
| एफ़पीओ | कृषक उत्पादक संगठन |
| जीसीएफ़ | ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड |
| जीओआई | भारत सरकार |
| जेएलजी | सयुंक्त देयता समूह |
| केसीसी | किसान क्रेडिट कार्ड |
| एलटीआरसीएफ़ | दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि |
| एमएफ़आई | सूक्ष्म-वित्त संस्था |
| एमएससी | बहु-सेवा केंद्र |
| एमएसएमई | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
| एनएएफ़सीसी | जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि |
| एनएएफ़आईएस | नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण |
| एनआईडीए | नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता |
| एनआईई | राष्ट्रीय कार्यान्वयन निकाय |
| एनआरआईडीए | राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी |
| ओएफ़पीओ | कृषीतर उत्पादक निधि |
| पीएसीएस | प्राथमिक कृषि ऋण समितियां |
| पीएलपी | संभाव्यतायुक्त ऋण योजना |
| पीएमएवाई-जी | प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण |
| पीओडीएफ़ | उत्पादक संगठन विकास निधि |
| आरआईएएस | राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता |
| आरआईडीएफ़ | ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि |
| एसएचजी | स्वयं सहायता समूह |
| एसएचजी – बीएलपी | स्वयं सहायता समूह – बैंक सहबद्धता कार्यक्रम |
| यूपीएनआरएम | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए अंब्रेला कार्यक्रम |
| डब्ल्यूएएसएच | जल, साफ-सफाई और आरोग्य |
| डब्ल्यूडीएफ़ | वाटरशेड विकास निधि |
| डब्ल्यूआईएफ़ | भंडारागार आधारभूत संरचना निधि |

# नाबार्ड का क्रमिक विकास,

## 1982–2021 (नोट)

# नाबार्ड का क्रमिक विकास,

## 1982–2021 (आ)

- 1989 – डीडीएम: वर्तमान में 723 जिलों के लिए 414 **डीडीएम** पदस्थापित हैं.
- 1993 – एसएचजी-बीएलपी: वर्तमान में ~1.1 करोड़ स्वयं सहायता समूह और ~13.5 करोड़ ग्रामीण परिवार **एसएचजी-बीएलपी** के दायरे में हैं.
- 1996 – आरआईडीएफ़: **आरआईडीएफ** के माध्यम से 20% ग्रामीण आधारभूत संरचना निवेश को सहायता प्रदान की गई है, जिससे 4.9 लाख किमी सड़क, 12.3 लाख मीटर पुल का निर्माण किया जा सका है; और अब तक 349 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है.
- 2003 – टीडीएफ़: 5.3 लाख एकड़ जमीन पर अब तक कार्यान्वित की गई 835 **टीडीएफ़** परियोजनाओं से (29 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों) 5.6 लाख जनजाति परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है.
- 2005 – एफ़सी: वर्तमान समय में, 24,450 **किसान क्लब** सक्रिय हैं जिनमें 2,17,457 सदस्य शामिल हैं और अभी तक 4,66,054 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है
- 2007 – जेएलजी: अब तक, विभिन्न बैंकों द्वारा 13.3 मिलियन **जेएलजी** को संवर्धित और वित्तपोषित किया गया है.
- 2011 – एफ़पीओ, नीडा: संचयी रूप से 5,060 **एफ़पीओ** का गठन किया गया; संचयी रूप से **नीडा** की अंतर्गत 111 परियोजनाएं मंजूर की गईं
- 2012 – एनआईई: वर्तमान में नाबार्ड जीसीएफ़, एएफ़बी और एनएएफ़सीसी के लिए चैनलिंग एजेंसी हैं.
- 2015 – ई-शक्ति: **ई-शक्ति** देश के 281 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और अब तक 12.3 लाख एसएचजी के आंकड़ों को शामिल किया गया है; इसके अंतर्गत 1.7 लाख गाँवों में 140.9 लाख सदस्य शामिल हैं.




**आस्तियां** — ऋण और अग्रिम; निवेश; अन्य आस्तियां

**देयताएं** — स्वाधिकृत निधियाँ + अन्य देयताएँ; उधारियाँ; जमाराशियाँ